/

बिहार सरकार,
कृषि विभाग

पत्र संख्या–पी०पी०एम०–81/2016 5213 /कृ0, पटना, दिनांक– 14-12-,2016

प्रेषक,

सुधीर कुमार,
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

(+) अनौपचारिक रुप से परामर्शित। द्वारा : **वित्त विभाग, बिहार, पटना। (+)**

विषय : **राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत् Crop Diversification Programme (CDP) योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में केन्द्रांश मद 79.92 लाख (उनासी लाख बानवें हजार) रूपये एवं राज्यांश मद 53.28 लाख (तिरपन लाख अठाईस हजार) रूपये कुल 133.20 लाख (एक करोड़ तैंतीस लाख बीस हजार) रूपये की लागत पर योजना का कार्यान्वयन की स्वीकृति।**

आदेश – स्वीकृत।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत् Crop Diversification Programme (CDP) योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में केन्द्रांश मद 79.92 लाख (उनासी लाख बानवें हजार) रूपये एवं राज्यांश मद 53.28 लाख (तिरपन लाख अठाईस हजार) रूपये कुल 133.20 लाख (एक करोड़ तैंतीस लाख बीस हजार) रूपये की लागत पर योजना का कार्यान्वयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. भारत सरकार के पत्र संख्या–1-4/2016 RKVY दिनांक 19.10.2016 द्वारा इस योजना अंतर्गत 40.00 लाख रूपये विमुक्त किया गया है। इसके समानुपातिक राज्यांश 26.67 लाख रूपये जोड़कर आवंटन पत्र निर्गत किया जायेगा। भारत सरकार से अवशेष राशि 39.92 लाख रूपये विमुक्ति के पश्चात समानुपातिक राज्यांश का आवंटन निर्गत किया जा सकेगा।

योजना के तहत् संकर प्रभेद एवं खुला परागण प्रभेद के सब्जी खेती हेतु सब्जी बीज, जैव उपादान, जैव रसायन, इत्यादि कृषकों को अनुदानित दर पर उपलब्ध कराया जायेगा। भारत सरकार द्वारा योजनान्तर्गत संकर प्रभेद की सब्जी खेती का इकाई लागत 45,000/– रूपये प्रति हेक्टेयर तथा खुला परागण प्रभेद के सब्जी खेती का इकाई लागत 30,000/– रूपये प्रति हेक्टेयर निर्धारित है। योजना के तहत् इकाई लागत का 75 प्रतिशत देय सहायतानुदान अनुमान्य है।

3. वित्तीय वर्ष 2016–17 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत तम्बाकु की खेती के स्थान पर वैकल्पिक खेती के लिए भारत सरकार से संसूचित उद्व्यय के आलोक में सब्जी की खेती के लिए फसल विविधिकरण कार्यक्रम Crop Diversification Programme (CDP) के लिए कार्य योजना को भारत सरकार कृषि मंत्रालय के पत्रांक 1–11/2016 सी०यू०–II दिनांक 04.07.2016 द्वारा राज्य सरकार के द्वारा तीन जिलों यथा–वैशाली, मुजफ्फरपुर एवं समस्तीपुर में योजना कार्यान्वयन करने हेतु प्रस्ताव अनुमोदित की गई है। जिसका संचालन जिला स्तर पर सहायक निदेशक उद्यान द्वारा किया जायेगा। भारत सरकार से स्वीकृति उपरान्त दिनांक 05.08.2016 को विकास आयुक्त की अध्यक्षता में आयोजित राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग परियोजना समिति के बैठक में मो० 133.20 लाख रूपये की स्वीकृति योजना कार्यान्वयन हेतु दी गई है। भारत सरकार द्वारा योजना के स्वरूप को 60:40 किया गया है। जिसमें केन्द्रांश 60 प्रतिशत अर्थात् 79.92 लाख एवं राज्यांश 40 प्रतिशत अर्थात् 53.28 लाख रूपये की गई है। Crop Diversification Programme (CDP) योजना का 2016–17 के लिए प्रस्तावित कार्यक्रम अनुसूची – 1 पर संलग्न है।

E:\ABHINAV\2016-17\CDP\Sanlekh CDP dt 19.09.2016.docx

4. Crop Diversification Programme (CDP) योजना राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में शामिल है। भारत सरकार से प्राप्त निदेश के आलोक में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत् राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति द्वारा Crop Diversification Programme (CDP) योजना के लिए मो० 133.20 लाख रूपये की स्वीकृति दिनांक 05.08.2016 को आयोजित राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति द्वारा दी गई है।

5. Crop Diversification Programme (CDP) योजना के तहत् राष्ट्रीय कृषि विकास योजना राज्य मद की स्वीकृत राशि की निकासी अनुसूची–2 के अनुसार निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा संबंधित कोषागार से की जायेगी। अनुदान का भुगतान DBT के माध्यम से की जायेगी।

6. योजना कार्यान्वयन के संबंध में यथाआवश्यक संशोधन प्रशासी विभाग द्वारा किया जा सकेगा।

7. बजट शीर्ष एवं बजट उपबंध निम्न प्रकार है, (राशि लाख रूपये में)

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–109, विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण–मांग सं०–1 उपशीर्ष–0216–राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई) (ए.सी.ए.), विपत्र कोड–P2401001090216, पी.एफ.एम.एस. कोड–9145, विषयशीर्ष–3106–सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा	17451.72	66.3336
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उपमुख्य शीर्ष–00 लघु शीर्ष–789, अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–मांग सं०–1 उपशीर्ष–0203, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई) (ए.सी.ए.), विपत्र कोड– P2401007890203, पी. एफ.एम.एस. कोड–9145, विषयशीर्ष–3106–सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा	4474.80	12.7872
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उपमुख्य शीर्ष– 00 लघु शीर्ष–796, जनजातीय क्षेत्र उप योजना, मांग सं०–1 उपशीर्ष–0231–राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई)(ए.सी.ए.),विपत्रकोड–P2401007960231, पी.एफ.एम.एस. कोड–9145, विषयशीर्ष–3106– सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा	447.48	0.7992
कुल केन्द्रांश	**22374.00**	**79.9200**
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उपमुख्य शीर्ष–00 लघु शीर्ष–109, विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण, मांग सं०–1 उपशीर्ष–0316–राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई) (ए.सी.ए.), पी.एफ.एम.एस. कोड–9145, विपत्र कोड–P2401001090316, विषयशीर्ष–3106–सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा	11634.48	44.2224
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उपमुख्य शीर्ष–00 लघु शीर्ष–789, अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–मांग सं०–1 उपशीर्ष–0303–राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई) (ए.सी.ए.), पी.एफ.एम.एस. कोड–9145, विपत्र कोड–P2401007890303, विषयशीर्ष–3106–सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा	2983.20	8.5248
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उपमुख्य शीर्ष–00 लघु शीर्ष–796, जनजातीय क्षेत्र उपयोजना–मांग सं०–1 उपशीर्ष–0331–राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर. के.वी.वाई) (ए.सी.ए.), पी.एफ.एम.एस. कोड–9145, विपत्र कोड–P2401007960331, विषयशीर्ष– 31 06–सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा	298.32	0.5328
कुल राज्यांश	**14916.00**	**53.2800**

8. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या 602 दिनांक 20.3.2007 एवं वित्त विभाग के संकल्प संख्या–96 वि० (2) दिनांक 03.01.08 में निहित प्रावधान के आलोक में योजना की स्वीकृति में प्रधान सचिव, कृषि का अनुमोदन दिनांक 11.11.2016 को प्राप्त है।

9. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–7355 वि0 (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

10. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–पी०पी०एम० / 21 / 2016 के पृ0सं0–9 / टि० पर दिनांक– 09.12.2016 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

14.12.2016

(सुधीर कुमार)
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :–पी०पी०एम०–81 / 2016 5213 / कृ0, पटना, दिनांक 14-12-,2016

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14.12.2016

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :–पी०पी०एम०–81 / 2016 5213 / कृ0, पटना, दिनांक 14-12-,2016

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग / मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग एवं वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14.12.2016

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :–पी०पी०एम०–81 / 2016 5213 / कृ0, पटना, दिनांक 14-12-,2016

प्रतिलिपि : सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14.12.2016

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :–पी०पी०एम०–81 / 2016 5213 / कृ0, पटना, दिनांक 14-12-,2016

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव / कृषि उत्पादन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव / प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव / कृषि निदेशक, बिहार, पटना / निदेशक पी०पी०एम०, कृषि विभाग, पटना / निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना / संयुक्त निदेशक शष्य, (योजना), बिहार, पटना / सभी जिला कृषि पदाधिकारी / उप निदेशक, उद्यान / सहायक निदेशक, उद्यान, वैशाली / समस्तीपुर / मुजफ्फरपुर / बजट एवं योजना शाखा, सचिवालय एवं कृषि निदेशालय, कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं उप कृषि निदेशक(सूचना), बिहार, पटना को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

14.12.2016

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

Tripathi

E:\ABHINAV\2016-17\CDP\Sanlekh CDP dt. 19.09.2016.docx